न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—जबर सिंह आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 71/2012 **दायर दिनांकः 09.07.2012**

उनवान

1. मृतक हेमराज आयु 55 वर्ष पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर निवासी कीरपुरिया तहसील अटरू जिला बारां राज0।

1/1 ओमप्रकाश आयु 31 वर्ष पुत्र

1/2 चेतन आयु 21 वर्ष पुत्र

1/3 फूलकंवर आयु 29 वर्ष पुत्री

1/4 गुड्डी बाई आयु 27 वर्ष पुत्री

1/5 सावित्री बाई आयु 25 वर्ष पुत्री

1/6 भुवनेश आयु 23 वर्ष पुत्री

1/7 नाथीबाई आयु 50 वर्ष बेवा हेमराज जाति गुर्जर निवासी कीरपुरिया तहसील अटरू जिला बारां राज0।

2. भोजराज पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर निवासी कीरपुरिया तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. पांचूलाल आयु 60 वर्ष पुत्र बिरधीलाल जाति गुर्जर निवासी कीरपुरिया तहसील अटरू जिला बारां।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थीः— विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

अप्रार्थीः— विद्वान अभिभाषक श्री बृजराज सिंह।

आदेश

दिनाक : 17/01/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 183 आर0टी0एक्ट0 का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल कीरपुरिया तहसील अटरू में खाता संख्या 96 की ख0न0 1394 की 0.30 है0 1405/1926 की 0.14 है0, 1414 की 0.14 है0, 1415 की 0.04 है0, 1421 की 1.92 है0, 1505 की 0.13 है0 कुल 6 किता का रकबा 2.66 है0 आराजी

वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त तथा स्वामित्व में चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल है। ख0नं0 1421 का रकबा 1.92 है0 आराजी वादीगण ने 8–9 वर्ष पूर्व नटी, फूला आदि से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की थी तभी से वादीगण का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त एवं स्वामित्व चला आ रहा है। ख0नं0 1421 का रकबा 1.92 हे0 आराजी में से पूर्व दिशा की 3 बीघा करीब आराजी प्रतिवादी को 2 वर्ष पूर्व मुनाफा काश्त पर जुता रखी थी इस वर्ष मुनाफा काश्त की राशि व समय समाप्त होने के बाद भी प्रतिवादी द्वारा उक्त वर्णित 3 बीघा आराजी को पुनः हांक दिया। वादीगण द्वारा प्रतिवादी से कब्जा सम्भलाने की कहने पर मना कर दिया एवं लडाई झगड़ा पर आमादा हुआ अतः वादीगण उक्त 3 बीघा आराजी पर से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है जिसको बिना न्यायालय की सहायता के नही करवाया जा सकता है अस्तु यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है। वादीगण प्रतिवादी से उक्त वर्णित आराजी पर से बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने तक दायरी दावा से 10000/– रूपये प्रतिवर्ष अर्न्तलाभ प्रतिवादी से वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। वाद कारण दिनांक 10.04.2012 को प्रतिवादी द्वारा उक्त वर्णित आराजी 3 बीघा को पुनः हॉकने से मना करने पर भी नही मानने पर पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षैत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी एवं पक्षकारान तहसील क्षैत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादीगण विनयी है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमाई जावेंः–

(अ) वाद ग्रस्त आराजी ख0नं0 1421 की 1.92 है0 आराजी में से पूर्व दिशा की 3 बीघा पर से प्रतिवादी को बेदखल करके पुनः कब्जा वादीगण को दिलाया जावें।

(ब) दायरी दावा से ताबेदखली प्रतिवादी से 10000/– रूपये वार्षिक वादीगण को अर्न्तलाभ दिलाया जावें।

(स) वाद व्यय एवं अन्य न्यायोचित सहायता न्यायालय जो उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई, प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा पेश नही करने के कारण जवाब दावा बंद किया गया।

साक्ष्यवादी के अन्तर्गत गवाह PW_1 से PW_4 के शपथ पत्र पेश किये तथा रिकार्ड EXP करवाया गया।

अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र के बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ख0नं0 1421 की 1.92 है0 आराजी पूर्व दिशा की 3 बीघा पर से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाया जावें। पत्रावली का अवलोकन पर पाया कि ग्राम कीरपुरिया की जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 खाता संख्या 96 ख0नं0 1394 रकबा 0.30 है0 ख0नं0 1405/1929 रकबा 0.14 है0 ख0नं0 1414 रकबा 0.13 है0 ख0नं0 1415 रकबा 0.04 है0 ख0नं0 1421 पूरब रकबा 1.92 है0 ख0नं0 1505 रकबा 0.13 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.66 है0 मृतक हेमराज के शामलाती खाते में दर्ज है। जो वीगण के पिता है, जिसमें वादीगण का हक निहित है। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा व कोई साक्ष्य पेश नही किये गये इससे साबित होता है कि पांचू लाल प्रतिवादी द्वारा वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है। कि ग्राम कीरपुरिया की खाता संख्या 96 की ख0नं0 1421 पूरब दिशा रकबा 1.92 है0 पर से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादीगण को सम्भलावें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में लिखवाया गया।

(जबर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री जबर सिंह (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 71/2012

उनवान

1. मृतक हेमराज आयु 55 वर्ष पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर निवासी कीरपुरिया तहसील अटरू जिला बारां राज0।

   1/1 ओमप्रकाश आयु 31 वर्ष पुत्र

   1/2 चेतन आयु 21 वर्ष पुत्र

   1/3 फूलकंवर आयु 29 वर्ष पुत्री

   1/4 गुड्डी बाई आयु 27 वर्ष पुत्री

   1/5 सावित्री बाई आयु 25 वर्ष पुत्री

   1/6 भुवनेश आयु 23 वर्ष पुत्री

   1/7 नाथीबाई आयु 50 वर्ष बेवा हेमराज जाति गुर्जर निवासी कीरपुरिया तहसील अटरू जिला बारां

2. भोजराज पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर निवासी कीरपुरिया तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. पांचूलाल आयु 60 वर्ष पुत्र बिरधीलाल जाति गुर्जर निवासी कीरपुरिया तहसील अटरू जिला बारां।

वाद अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :–

प्रार्थीः– विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

अप्रार्थीः– विद्वान अभिभाषक श्री बृजराज सिंह।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। ग्राम कीरपुरिया की खाता संख्या 96 की ख0नं0 1421 पूरब दिशा रकबा 1.92 है0 पर से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादीगण को सम्भलावें।

(जबर सिंह)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 17.01.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)